2020/00621

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री छगनलाल कुमावत निवासी कुमावत मोहल्ला, आबकारी आबूरोड़ जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 71 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14.12.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 25.09.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.59 एसटीपी / डीएलबी / Mount Abu-1367( )16 / 4756 दिनांक 01.04.2019 विशिष्ठ क्षेत्र हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने हेतु एस.डी.एम की अध्यक्षता में एक कमेठी गठित की गई एवं विभागीय आदेश क्रमांक 6886 दिनांक 27.12.2019 को उक्त कमेठी भंग की गई। अतः दिनांक 01.04.2019 से 27.12.2019 तक कब–कब, किस–किस के भवन निर्माण के आवेदन प्राप्त हुए एवं उन पर की गई कार्यवाही की प्रति एवं कमेठी की बैठकों एवं बैठकों में की गई कार्यवाही की प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को दिनॉक 25.09.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.59 एसटीपी / डीएलबी / Mount Abu-1367( )16 / 4756 दिनांक 01.04.2019 विशिष्ठ क्षेत्र हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने हेतु एस.डी.एम की अध्यक्षता में एक कमेठी गठित की गई एवं विभागीय आदेश क्रमांक 6886 दिनांक 27.12.2019 को उक्त कमेठी भंग की गई। अतः दिनांक 01.04.2019 से 27.12.2019 तक कब–कब, किस–किस के भवन निर्माण के आवेदन प्राप्त हुए एवं उन पर की गई कार्यवाही की प्रति एवं कमेठी की बैठकों एवं बैठकों में की गई कार्यवाही की प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड़ अधिकारी आबूपर्वत को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्प[illegible]क आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:42:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner